प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ: **माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं**
माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

रिट अपील क्रमांक 29 सन् 2011

डी.एस. परोहा
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

विचारार्थ।
सही/–
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

सही/–
(राधे श्याम शर्मा)
न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 18/10/2011 को सूचीबद्ध करें ।

सही/–
दिनांक 17/10/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

रिट अपील क्रमांक 29 सन् 2011

अपीलकर्ता : डी.एस. परोहा, कार्यपालक अभियंता,

वर्तमान में प्रभारी अधीक्षक/मुख्य अभियंता के रूप

में कार्यरत,रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा — सचिव,

आवास एवं परिवहन विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर

(छ.ग.)

2. रायपुर विकास प्राधिकरण, के द्वारा मुख्य कार्यपालक

अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.)

3. पी.आर. नारंग, पिता— स्व. एस.एल. नारंग, आयु लगभग 51

वर्ष, निवासी— सी-288, शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(रिट अपील अंतर्गत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (खंडपीठ में अपील)) अधिनियम, 2006

की धारा 2(1)

उपस्थिति :

श्री एल.एस. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री पी.एस. कोशी एवं श्री एन. नाहा रॉय, अधिवक्तागण — अपीलकर्ता की ओर से

श्री ए.एस. कच्छवाहा, उप महाधिवक्ता — राज्य/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से

श्री सुमेश बजाज, अधिवक्ता — प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से

श्री पी.के. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथ में श्री पी.आर. पाटणकर, अधिवक्ता — प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

(दिनांक 18.10.2011)

निम्नलिखित आदेश माननीय **श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार** सिन्हा द्वारा पारित किया गया :—

(1) प्रत्यर्थी क्रमांक 3/याचिकाकर्ता ने वर्ष 1978 में बी.ई. (सिविल) की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् दिनांक 19.10.1979 को रायपुर विकास प्राधिकरण में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति प्राप्त की। अपीलकर्ता को दिनांक 28.05.1980 को आर.डी.ए. में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने रिट न्यायालय के समक्ष यह दावा किया कि राज्य शासन द्वारा दिनांक 27.05.1980 के आदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि समस्त स्नातक कनिष्ठ अभियंताओं को सहायक अभियंता तथा डिप्लोमा धारकों को उप-अभियंता मनाने का निर्णय लिया । राज्य शासन के उक्त निर्णय को राज्य के स्थानीय निकायों ने सरकर के उपरोक्त निर्णय को अपनाया । आर.डी.ए. द्वारा भी दिनांक 04.09.1981 को यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कनिष्ठ अभियंता का पद समाप्त किया जाए तथा सहायक अभियंता एवं उप-अभियंता के

पद रखे जाएँ, तथा उक्त नामकरण के लिए कट-ऑफ तिथि 27.05.1980 निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त, दिनांक 10.09.1981 को एक आदेश भी पारित किया गया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को सहायक अभियंता माना गया। अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 3 अपीलकर्ता से वरिष्ठ था, क्योंकि वह दिनांक 27.05.1980 को सहायक अभियंता बन गया था, जबकि अपीलकर्ता की नियुक्ति सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 28.05.1980 को हुई। बाद में दिनांक 31.12.1987 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 3 दोनों को कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्तकिया गया, किंतु सहायक अभियंता की वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थी क्रमांक 3 का नाम अपीलकर्ता के नाम से नीचे दर्शाया गया। फलस्वरूप, एक अभ्यावेदन प्रस्तुत की गई, किंतु उक्त अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर इस प्रकार, मुख्य अभियंता के पद पर आगे नियुक्ति की संभावना होने के कारण, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 ने सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 27.05.1980 से अपनी वरिष्ठता मानते हुए मुख्य अभियंता के पद पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु रिट याचिका प्रस्तुत की। दिनांक 29.06.2006 को प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की अभ्यावेदन अस्वीकार कर दी गई। तत्पश्चात् दिनांक 18.11.2006 के संशोधन द्वारा अभ्यावेदन अस्वीकार के आदेश को भी प्रत्यर्थी क्रमांक 3 द्वारा चुनौती दी गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) रिट न्यायालय ने यह माना कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को उस तिथि से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्तमाना जाएगा, जिस तिथि को कनिष्ठ अभियंता का पद समाप्त किया गया। रिट न्यायालय ने यह भी माना कि दिनांक 27.05.1980 के आदेश (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/2) द्वारा कनिष्ठ अभियंता का पद समाप्त कर दिया गया था तथा स्नातक अभियंताओं को तत्काल प्रभाव से सहायक अभियंता के रूप में माना जाने का निर्देश दिया गया था। रिट न्यायालय ने आगे यह भी माना कि दिनांक 27.05.1980 के परिपत्र (अनुलग्नक–पी/2) तथा पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 10.09.1981 (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/4) के संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है

कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 दिनांक 27.05.1980 को सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, जबकि अपीलकर्ता दिनांक 28.05.1980 को सहायक अभियंता के पद पर कार्यभार ग्रहण किया था, और इस प्रकार प्रत्यर्थी क्रमांक 3, अपीलकर्ता से वरिष्ठ है। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 दिनांक 27.05.1980 को तत्काल सहायक अभियंता का पद प्राप्त हुआ , जब कनिष्ठ अभियंता का पद समाप्त कर दिया गया और सभी स्नातक अभियंता सहायक अभियंता के पद पर कार्य करने लगे। इस प्रकार, रिट न्यायालय ने दिनांक 29.06.2006 के आदेश, अर्थात् अभ्यावेदन करने वाले आदेश को रद्द कर दिया तथा प्रत्यर्थी प्राधिकारियों को प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के प्रकरण पर विचार करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता के प्रकरण को मुख्य अभियंता के पद पर चयन एवं नियुक्ति हेतु विधि के अनुरूप विचार किए जाने का निर्देश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल.एस. सिंह ने यह तर्क दिया कि दिनांक 27.05.1980 का परिपत्र (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/2) विशेष रूप से सिंचाई विभाग के लिए था, अतः उसे आर.डी.ए./स्थानीय निकायों पर लागू नहीं किया जा सकता। आर.डी.ए. द्वारा दिनांक 04.09.1981 को प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को कनिष्ठ अभियंता के पद से सहायक अभियंता के पद पर नियुक्तकरने का निर्णय लिया गया था, किंतु न तो सिंचाई विभाग के उक्त परिपत्र को अंगीकृत करने का कोई निर्णय लिया गया और न ही किसी पूर्व तिथि से नियुक्ति देने अथवा ऐसा माने जाने का कोई निर्णय किया गया। अतः सिंचाई विभाग के परिपत्र के आधार पर प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता था और उक्त परिपत्र पर आधारित विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय न्यायसंगत नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसके बाद आदेश दिनांक 10.09.1981 द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था, अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 10.09.1981 को नियुक्तमाना जाना चाहिए और उसे दिनांक 27.05.1980 से सहायक अभियंता नहीं माना जा

सकता। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर उन्होंने प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय का भी समर्थन किया।

(4) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया तथा रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया।

(5) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के प्रकरण का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा रिट याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) दिनांक 27.05.1980 के आदेश (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/2 तथा रिट अपील में संलग्न अनुलग्नक–पी/6) के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश सिंचाई विभाग के कर्मचारियों के संबंध में था, न कि स्थानीय निकायों या रायपुर विकास प्राधिकरण (आर.डी.ए.) के कर्मचारियों के संबंध में, न तो आदेश की भाषा से और न ही उसके विषय-वस्तु अथवा समर्थन/अनुमोदन से कहीं यह संकेत मिलता है कि इसे राज्य शासन के अन्य विभागों, विशेष रूप से स्थानीय निकायों अथवा आर.डी.ए. जैसे निकायों पर भी लागू किया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह माना गया है मानो दिनांक 27.05.1980 का आदेश/परिपत्र आर.डी.ए. पर भी लागू होता है तथा आर.डी.ए. में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता, जैसे प्रत्यर्थी क्रमांक 3, उक्त आदेश की तिथि से अर्थात् 27.05.1980 से सहायक अभियंता बन गए। इसे सही नहीं माना जा सकता।

उक्त आदेश विशेष रूप से सिंचाई विभाग से संबन्धित था तथा यह स्वतः आर.डी.ए. पर लागू नहीं होता। अतः प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 27.05.1980 के उक्त आदेश/परिपत्र के आधार पर दिनांक 27.05.1980 से सहायक अभियंता नहीं माना जा सकता। आर.डी.ए. द्वारा अपनी बैठक दिनांक 04.09.1981 (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/5 तथा रिट अपील में संलग्न अनुलग्नक–पी/8) में अपने दो कनिष्ठ अभियंताओं, जिनमें प्रत्यर्थी क्रमांक 3 भी शामिल था, को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक 10.09.1981 का नियुक्ति आदेश (रिट याचिका में संलग्न अनुलग्नक–पी/4 तथा रिट अपील में संलग्न अनुलग्नक–पी/9) प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के पक्ष में जारी किया गया, जिसने सहायक अभियंता के पद पर दिनांक 10.09.1981 को कार्यभार ग्रहण किया (अनुलग्नक–पी/10) न तो दिनांक 04.09.1981 के निर्णय में और न ही दिनांक 10.09.1981 के नियुक्ति आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की नियुक्ति पूर्व व्यापी से अर्थात् दिनांक 27.05.1980 से प्रभावी होगी, जैसा कि रिट न्यायालय द्वारा माना गया है। अतः रिट न्यायालय का यह निष्कर्ष कि प्रत्यर्थी क्रमांक 3 का सहायक अभियंता के पद में दिनांक 27.05.1980 से माना जाएगा, गलत है। वास्तव में, राज्य शासन द्वारा दिनांक 31.08.1982 को (रिट अपील के पेपर-बुक के पृष्ठ 42 पर संलग्न अनुलग्नक–पी/7) समस्त स्थानीय निकायों/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों आदि के लिए कनिष्ठ अभियंता के पदों को सहायक अभियंता में परिवर्तित करने के संबंध में एक आदेश/परिपत्र जारी किया गया। उक्त आदेश/परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह आदेश/परिपत्र जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। यद्यपि ये विषय वर्तमान अपील में चुनौती के अंतर्गत नहीं हैं, अतः हम दिनांक 31.08.1982 के परिपत्र के प्रभाव की जांच नहीं करेंगे, तथापि किसी भी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि प्रत्यर्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्रमांक 3 को दिनांक 27.05.1980 से नियुक्त किया गया था अथवा उसे सहायक अभियंता या उसका पद दिनांक 27.05.1980 से सहायक अभियंता में परिवर्तित माना जाए।

(8) राज्य शासन ने भी दिनांक 29.06.2006 को प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की अभ्यावेदन को रद्द करते हुए (अनुलग्नक–पी/12) इसी प्रकार के निष्कर्ष दर्ज किए हैं। इसमें यह कहा गया है कि जब प्रत्यर्थी क्रमांक 3 दिनांक 10.09.1981 को सहायक अभियंता बना, तब उसे दिनांक 01.07.1995 की स्थिति दर्शाने वाली श्रेणी में दिनांक 27.05.1980 से सहायक अभियंता नहीं दर्शाया जा सकता था, क्योंकि दिनांक 25.10.1979 (आर.डी.ए. में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यभार ग्रहण की तिथि) से लेकर दिनांक 10.09.1981 (नियुक्ति आदेश पारित होने से पूर्व) तक वह कनिष्ठ अभियंता ही था। ऐसी गलत प्रविष्टि के आधार पर वह कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इन तथ्यों के आधार पर, हमें दिनांक 29.06.2006 के आदेश (अनुलग्नक–पी/12) को रद्द करने का कोई आधार नहीं दिखाई देता, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की अभ्यावेदन पर पारित किया गया था। हमारा मत है कि रिट न्यायालय ने दिनांक 29.06.2006 के उक्त आदेश (अनुलग्नक–पी/12) को रद्द करते समय त्रुटि की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर उचित विचार करने पर, रिट न्यायालय द्वारा दिनांक 12 नवम्बर, 2010 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है तथा यह अपास्त किए जाने योग्य है।

(10) परिणामस्वरूप, रिट अपील स्वीकार की जाती है। रिट न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2816/2005 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं उसमें दर्ज निष्कर्ष रद्द किए जाते हैं। प्रत्यर्थी क्रमांक

3 द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश दिये बिना खारिज किया जाता है ।

सही /–
(सुनील कुमार सिन्हा)
न्यायाधीश

सही /–
(राधे श्याम शर्मा)
न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Prashant Parakh